

24
A का नाम:- कपरी सुरकण्डा विद्युत लाइन निर्माण

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 13/3/2013 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही में वन विभाग की ओर से श्री गणेश कुमार राजस्व विभाग की ओर से श्री राधा कृष्ण शर्मा प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री निकेश कुमार (J.F.) द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.50 हे०, सिविल एवं सायम वन भूमि 0.10 हे०, वन पंचायत भूमि 0.20 हे० एवं नाप भूमि 0.20 हे० प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

- आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का विवरण निम्नवत् है:-
(i) प्रस्तावित विद्युत लाइन के अन्तर्गत कक्ष 30, व 4 के अन्तर्गत 25 वृक्ष हैं।
(ii) प्रस्तावित विद्युत लाइन के अन्तर्गत चाड़ानुभा बाज, कुराश प्रजाति के पौध लगभग 500 आ रहे हैं।
(iii) आरक्षित वन क्षेत्र में प्रस्तावित विद्युत लाइन की लम्बाई (3000 x 2.50 मी०)
(iv) वन क्षेत्र का घनत्व 0.3% है।

ह०/-
(प्रयोक्ता एजेन्सी)
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
सतलखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
नई दिल्ली (दिल्ली गवर्नर)

प्रति हस्ताक्षरित
जिलाधिकारी

ह०/-
राजस्व विभाग प्रतिनिधि
जिला - दिल्ली गवर्नर

ह०/-
वन विभाग प्रतिनिधि
देवलासी रेंज
भरतपुर

(शुश्रीर सिंह वेप्रेर)
व० द०

प्रयोक्ता अभियन्ता
सतलखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

उप प्रभागीय अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

उप जिलाधिकारी
धनोली
दिल्ली गवर्नर

प्रभागीय अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

धनोली
दिल्ली गवर्नर

प्रतिष्ठित अधिकारी

जिला अधिकारी
दिल्ली गवर्नर